राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2155/2011/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–प्रथम, भिवाड़ी. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रूस्तगी प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, भिवाड़ी. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 14/12/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 156/RVAT/2010–11/उपा/अपील्स/अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.04.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत–प्रथम, भिवाड़ी (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील में पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.04.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–171 दिनांक 31.03.2006 के तहत जो आस्थगन योजना जारी की गयी थी उसमें आस्थगन राशि की गणना आउटपुट टैक्स से करते हुए डेफरमेंट का लाभ दिये जाने का निर्णय कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था।जिसमें यह भी अंकित किया गया था कि व्यवहारी द्वारा दिनांक 20.07.2010 को धारा 33 के तहत इस आशय का जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया जाये।

लगातार.....2

14/12/17

4. इसी व्यवहारी फर्म के प्रकरण में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा **अपील संख्या 2156/2011/अलवर निर्णय दिनांक 23.05.2012** में यह निर्णय किया गया था कि आस्थगन की राशि का लाभ आउटपुट टैक्स की राशि में से आगत कर की राशि कम करने के उपरान्त शुद्ध कर राशि के आधार पर ही दिया जा सकता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री डी.कुमार द्वारा बताया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त विवादित अपीलीय आदेश दिनांक 26.04.2011 से प्रतिप्रेषित किये गये प्रकरण का पुनः निर्धारण, **राजस्थान कर बोर्ड के आदेश दिनांक 23.05.2012** एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **मैसर्स आर.एस. डब्ल्यू.एम. लिमिटेड बनाम राज्य पिटिशन संख्या 6903/2009 एवं 10230/2009 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2011** की पालना में शुद्ध देय कर पर आदेश दिनांक 31.03.2013 पारित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व की अपील, कर निर्धारण आदेश पारित हो जाने से सारहीन हो जाने के कारण निष्प्रभावी हो गयी है।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी सहमति प्रकट की गयी है कि स्वयं व्यवहारी के मामले में ही **एस.बी. रिविजन नं0 213/2012 निर्णय दिनांक 31.03.2017** से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की जा चुकी है। अतः अन्तिम रूप से अपीलीय अधिकारी का आदेश स्वतः निरस्त हो चुका है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राजस्व के पक्ष में प्रभाव दिया जा चुका है।

6. फलतः अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील उपरोक्त स्थिति में निष्प्रभावी हो जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

14/12/17

(के. एल. जैन)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य